न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 06/2019 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये आनन्द कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा — प्रार्थी	**बनाम**	1. जय अग्रवाल पुत्र कृष्णानन्द अग्रवाल (मालिक/विक्रेता) मैसर्स स्वास्तिक स्पाईसेज, 9—डी—2, न्यू बापू नगर, भीलवाडा ——विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित—

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 25-08-2020

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प—1(2)कार्मिक/क—4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी जय अग्रवाल पुत्र कृष्णानन्द अग्रवाल (मालिक/विक्रेता) मैसर्स स्वास्तिक स्पाईसेज, 9—डी—2, न्यू बापू नगर, भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु साबूत कालीमिर्च बेच रहा था। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार साबुत काली मिर्च का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म—6 मेमोरेण्डम, फर्म के

संविधान संबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.09.2018 को समय 1.00 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने चैकिंग हेतु जय अग्रवाल पुत्र कृष्णानन्द अग्रवाल (मालिक/विक्रेता) मैसर्स स्वास्तिक स्पाईसेज, 9–डी–2, न्यू बापू नगर, भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर पर खाद्य विक्रेता/मैनेजर की हैसियत से जय अग्रवाल पुत्र कृष्णानन्द अग्रवाल (मालिक/विक्रेता) मैसर्स स्वास्तिक स्पाईसेज, 9–डी–2, न्यू बापू नगर, भीलवाडा था एवं आम जनता को साबुत काली मिर्च के उपयोग हेतु विक्रय कर रहा था। विक्रेता/मैनेजर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य लाईसेंस मांगा गया, जो मौके पर मौजूद था।

मौके पर गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में विक्रेता को 1200/–रू. नगद देकर 2 किलोग्राम साबुत काली मिर्च को जांच हेतु खरीदा एवं रसीद प्राप्त की। गवाह व विक्रेता के सामने चार लेबल तैयार किये गये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एक्स –557 नाम, पता, वस्तु का नाम, नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। प्रत्येक नमूना भाग के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर गोंद से चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को खाकी कागज में लपेटकर, दोनों सिरों को मोड़कर, गोंद से चिपका कर, मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार कर सभी के हस्ताक्षर करवाये गये।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./1628/ एफएसएसए/2018/311 दिनांक 01.11.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, साबुत काली मिर्च निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी जय अग्रवाल पुत्र कृष्णानन्द अग्रवाल (मालिक/विक्रेता) मैसर्स स्वास्तिक स्पाईसेज, 9–डी–2, न्यू बापू नगर, भीलवाडा द्वारा सबस्टैण्डर्ड साबुत काली मिर्च का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 15.11.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 27.12.2019 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वयं उपस्थित।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना साबुत काली मिर्च सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने साबुत काली मिर्च में Light Berries by weight **20.53** प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा **5.0** प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार Pinheads or broken berries, by weight **15.21** प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा **4.0** प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड साबुत काली मिर्च का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी द्वारा स्टैण्डर्ड माल का ही विक्रय किया जाता हैं। विपक्षी की फर्म पर मसालों का खुला व्यापार नही किया जाता हैं। केवल पैक मसालों का ही व्यापार किया जाता हैं। कोई मिलावट का सामान विपक्षी के यहां नही होता हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.10.2018 को सैम्पल लिया और एक महिने तक अपने यहां सैम्पल रखकर इन्होनें जांच के लिए भेजा। इतने दिनो तक अपने पास सैम्पल रखने से उसमें कुछ भी हो सकता हैं, इसकी जिम्मेदारी व्यापारी की नही हैं। प्रार्थी द्वारा जो परिवाद पेश किया है। उसमें सब जगह गलत दिनांकों का हवाला दे रखा हैं। निवेदन हैं कि इस परिवाद की कार्यवाही समाप्त कर खारिज की जावे।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस. /1628/एक्ट/2018/311 दिनांक 01.11.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, साबुत काली मिर्च निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (SUB STANDARD) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने साबुत काली मिर्च में Light Berries by weight 20.53 प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा 5.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार Pinheads or broken berries, by weight 15.21**

प्रतिशत पाया गया, जबकि स्टैण्डर्ड मात्रा 4.0 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। **इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड साबुत काली मिर्च का विकय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी सबस्टैण्डर्ड साबुत काली का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड साबुत काली मिर्च का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्येनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 15,000/-रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4. जय अग्रवाल पुत्र कृष्णानन्द अग्रवाल (मालिक/विक्रेता) मैसर्स स्वास्तिक स्पाईसेज, 9–डी–2, न्यू बापू नगर, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)